न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2017 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 14.06.2017

श्री जीतु पिता परमानंद कुमावत निवासी आँवलहेड़ा, तहसील व जिला-चित्तौड़गढ़

-अपीलार्थी

बनाम

1-भूमिधारी चित्तौड़गढ़
2-उप तहसीलदार, बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़

-रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 11.05.2017 प्रकरण संख्या 585/2017 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम अनवान राज्य बनाम जीतु कुमावत

उपस्थितिः- 1- श्री चांदमल गर्ग, अधिवक्ता, अपीलान्ट
2- श्री मनोहरलाल दक, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 03.07.2018

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय में इस आशय की प्रस्तुत की है कि मातहत योग्य अदालत ने दिनांक 11.05.2017 को अपीलांट को मौजा आँवलहेड़ा की आराजी नम्बर 1519 रकबा 0.13 है. भूमि किस्म चरनोट से बेदखल करने एवं लगान का पचास गुणा पेनल्टी लगाने का आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट का विगत 35 वर्षो से आ. नं. 1519 रकबा 0.70 है. किस्म चरनोट पर कब्जा चला आ रहा है जिसका पटवार हल्का ने रकबा मात्र 0.33 है. का ना. क. का नोटिस दिया और मातहत योग्य न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट को रकबा 0.33 के बजाय 0.13 है. से ही बेदखल करने का आदेश दिया इस प्रकार नोटिस एवं निर्णय के रकबे में काफी विरोधाभास होने से अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। उप तहसीलदार बस्सी से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गयी।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मातहत योग्य अदालत ने दिनांक 11.05.2017 को अपीलांट को मौजा आँवलहेड़ा की आराजी नम्बर 1519 रकबा 0.13 है. भूमि किस्म चरनोट से बेदखल करने एवं लगान का पचास गुणा पेनल्टी लगाने का आदेश पारित किया है वास्तविकता में अपीलांट का वादग्रस्त आ. नं. 1519 रकबा 0.70 है. किस्म चरनोट पर विगत 35 वर्षो से कब्जा होकर निरंतर व निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। मौजा आँवलहेड़ा में केम्प में अपीलांट को मिसल संख्या 234/1986 से दिनांक 31.05.1986 को सद्भावी भूमिहीन कृषक होने से रकबा 0.70 है. भूमि आवंटन हुई थी और कब्जा सिपुर्द किया किन्तु अपीलांट को आवंट्ति भूमि रकबा 0.70 है. पर उसे बिना सुने, बिना मुआवजा दिये उसकी आवंट्ति भूमि पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय बना डाला। तत्कालीन जिला कलक्टर ने उक्त 0.70 है. भूमि स्कूल में चले जाने से पूर्ति हेतु आज से करीब 35 वर्षो पूर्व मौजा आँवलहेड़ा की वर्तमान आराजी नम्बर 1519 कुल रकबा 3.33 है. किस्म चरनोट में से केवल मात्र 0.70 हैक्टेयर किस्म चरनोट पर अपीलांट को मौखिक आदेश से बिठा दिया तभी से उक्त भूमि पर पक्का पट्टी पोष मकान करीब 20.00 लाख की लागत एवं 80 फीट गहरा अटूट पानी का कुआं खोद डाला जिसमे अपीलांट का 10.00 लाख रूपये खर्च हुआ। द्वितीय बार भूमिधारी चित्तौड़गढ़ ने कृषि प्रयोजनार्थ भूआवंटन 1970 के नियम 14(4) के तहत अपीलांट का आवंटन खारीज कराने हेतु आवेदन पेश करने पर अपीलांट को बिना सुने एक तरफा भूमि पर स्कूल बना होना जानकर आवंटन खारीज किया। जिसकी अपील श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के यहां करने पर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 26.06.2015 में इस भूमि का आवंटन आदेश स्कूल कॉलेजों के भूमि आवंटन नियम 2007 के अन्तर्गत जारी किये जाने तथा इस स्कूल भवन की भूमि के एवज में अपीलांट को अन्य काश्त योग्य सिवाय चक भूमि उपलब्ध करा राजस्व अभिलेख में उसके नाम प्रविष्ठि की जाने का आदेश पारित किया। जब अपीलांट ने अपने कब्जेशुदा आ. नं. 1519 रकबा 0.70 है. किस्म चरनोट को स्कूल भवन भूमि के बदले नियमन करने को कहा तो उन्होने अपीलांट की एक नहीं सुनकर उक्त निर्णय पारित करने में गंभीर चूक की है अतः मातहत योग्य अदालत के उक्त निर्णय दिनांक 11.05.2017 को निरस्त कर वादग्रस्त आराजी नम्बर 1519 रकबा 0.70 है. किस्म चरनोट मौजा आँवलहेड़ा पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट का फसली कब्जा 35 वर्ष पुराना होने से तथा अपीलांट की भूमि स्कूल मे जाने से उसके एवज मे नियमन कराने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि चरनोट है। चरनोट में किये गये अतिक्रमण को नियमन योग्य नहीं पाये जाने तथा लगातार कब्जे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया जो विधि सम्मत् है। जहां तक स्कूल भवन की भूमि के बदले अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराने का प्रश्न है उसका इस प्रकरण में कोई लेना-देना नहीं है। विवादग्रस्त भूमि चरनोट होकर नियमन योग्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जिसके अनुसार पटवार हल्का आँवलहेड़ा ने विवादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 1519 रकबा 3.33 है. किस्म चारागाह में से अपीलांट का 0.10 है. पर गेहूँ की फसल एवं 0.03 है. पर कुआं व मकान बना होकर कुल क्षेत्रफल 0.13 है. भूमि पर अपीलांट का अनाधिकृत कब्जा होने से तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.05.2017 से अपीलांट को भूमि से बेदखल करने एवं लगान का 50 गुणा अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, अतः अपीलान्ट का कथन की उसका मौजा आँवलहेड़ा की आराजी नम्बर 1519 रकबा 0.70 है. किस्म चरनोट भूमि पर विगत 35 वर्षो से कब्जा है मानने योग्य नहीं है उक्त प्रकरण में अपीलांट का कब्जा 0.70 है. पर नहीं होकर मात्र 0.13 है. भूमि पर ही होना सिद्ध है और जिससे उसे बेदखल करने व अर्थदण्ड से दण्डित करने का पारित आदेश विधि-सम्मत् है।

जहां तक अपीलाण्ट के उसे आवंटन शुदा भूमि पर स्कूल भवन बना दिये जाने से उक्त आराजी नम्बर 1519 रकबा 0.70 है. किस्म चरनोट भूमि स्कूल भवन की भूमि के एवज में आवंटन किये जाने का प्रश्न है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि उक्त प्रकरण भूमि आवंटन हेतु विचाराधीन नहीं होकर चरनोट भूमि पर अपीलान्ट के द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे के संबंध में विचाराधीन है तथा चरनोट भूमि किसी भी प्रकार से नियमन योग्य नहीं है।

पूर्व में इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 19/2012 (रे.प्रा.पत्र) निर्णय दिनांक 02.05.2013 से अपीलांट द्वारा उसे आवंटित आराजी नम्बर 1988/2378 रकबा 0.70 है. भूमि पर उसका आवंटन पश्चात् कभी कब्जा एवं काश्त नहीं होने से प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा अन्तर्गत धारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूआवंटन) नियम,1970 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट को किये गये आवंटन को खारीज कराने हेतु निवेदन किये जाने से बाद सुनवाई अपीलांट का आवंटन खारीज किया गया था किन्तु उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ में अपील प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.06.2015 से स्कूल भवन की भूमि पर अपीलांट का कब्जा मानते हुए इस भूमि के आवंटन आदेश स्कूलों, कॉलेजों के भूमि आवंटन नियम, 2007 के अन्तर्गत जारी करने व इस स्कूल भवन की भूमि के एवज में अपीलान्ट को अन्य काश्त योग्य सिवायचक भूमि उपलब्ध कराकर राजस्व अभिलेख में उसके नाम प्रविष्टि करने के आदेश पारित करने से उक्त आदेश की पालना किये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ तथा भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखा जा चुका है जो कि एक अलग प्रकरण है तथा उसका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है।

चूंकि इस प्रकरण में अपीलांट का मौजा आँवलहेड़ा की आराजी नम्बर 1519 रकबा 0.13 है. किस्म चरनोट भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है तथा अपीलांट स्वयं उक्त तथ्य को स्वीकार कर अपील में आया है। प्रश्नगत भूमि चारागाह होकर मवेशियान के चराई के उपयोग की है, तथा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत चारागाह भूमि पर किया गया अतिक्रमण नियमन योग्य नहीं होने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने एवं लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.05.2017 यथावत रखा जाता है।

"निर्णय खुले न्यायालय में सुनवाया गया।"

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(इन्द्रजीत सिंह)